बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–..........................   पटना, दिनांक.........................

सं0सं0–03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015

प्रेषकः

एस0 सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः–औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत घोषित रियायतें/सुविधाओं हेतु सुक्ष्म/लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के इकाईयों के लिये यथा, उत्पादन के पूर्व स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क में शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, औद्योगिक इकाईयों को पूँजीगत अनुदान, कैप्टिव पॉवर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट के प्लांट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत अनुदान एवं गैर–पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की राशि का 60 प्रतिशत अनुदान/प्रतिपूर्ति, उद्योगो के स्थापना/पुर्नवास के संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में द्वितीय अतिरिक्त कुल ₹5.00 करोड़ (पॉच करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–2422, दिनांक–18.06.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य में औद्योगिक प्रगति को तीव्र करने तथा पूँजी निवेश को बढावा देने के उद्धेश्य से संकल्प सं0–691, दिनांक–09.06.2011 लागू है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अंतर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार ने सुक्ष्म/लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के इकाईयों के लिये उत्पादन के पूर्व स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क में शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, औद्योगिक इकाईयों को पूँजीगत अनुदान, कैप्टिव पॉवर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट के प्लांट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की 50 प्रतिशत अनुदान एवं गैर–पारम्परिक उर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर हुये व्यय की राशि का 60 प्रतिशत अनुदान/प्रतिपूर्ति, उद्योगो के स्थापना/पुर्नवास के संबंध मे माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड/वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुपालन हेतु वित्तीय वर्ष–2015–16 में द्वितीय अतिरिक्त **कुल ₹5.00 करोड़ (पॉच करोड़) मात्र** सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2 उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड P2852801020160, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5432, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसके लिए चालु वित्तीय वर्ष 2015–16 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

3 उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

4. उद्योग निदेशक बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृति आदेश के आलोक में राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार,

क्रमशः पृष्ट–02...

विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृति आदेश में दिये गये निदेशानुसार भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायगी।

5 योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें।

6. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए योजना कोड तथा विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

8. प्रस्ताव में मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक–21.03.2016 के मद सं0–17, में स्वीकृति संचिका संख्या–03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015 के पृष्ट 100/टि0 पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015 के पृष्ट 102/टि0 पर दिनांक–28.03.2016 को प्राप्त हैं जिसका डायरी संख्या–86/OSD दिनांक–28.03.2016 है।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों के अनुपालन में किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ पटना, दिनांक–..................................
03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–........................ पटना, दिनांक–..................................
03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

क्रमशः पृष्ट–03...

ज्ञापांकः–.........................
03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015

पटना, दिनांक–.................................

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1230
03/उ0नि0 (योजना), औ0प्रो0नीति–02/2015

पटना, दिनांक– 28.03.16

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (खा0प्र0), बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार पटना /आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2016
(एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
28/3/16